सं0–1580/IV(2)-श0वि0–08–50(सा0)/06

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक–28 दिसम्बर, 2008

विषय : नगर पंचायत, लण्ढौरा के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की तृतीय एवं अन्तिम किस्त की चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 692/V-श0वि0–06–50(सा0)/06, दिनांक 25–3–06 तथा शासनादेश संख्या 388/IV–श0वि0–07–50(सा0)/06 दिनांक 31–10–2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, लण्ढौरा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत छः कार्यों हेतु रू0–121.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः रू0 49.58 लाख तथा रू0 40.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 89.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त के क्रम में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 82.15 लाख धनराशि का उपयोग किया गया है। अतएव सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरांत, शासनादेश दिनांक 25–3–06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 31.42 लाख (रूपये इकत्तीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर तथा विगत में स्वीकृत धनराशि के विपरीत उपयोग हेतु अवशेष रू0 7.43 लाख (रूपये सात लाख तैतालीस हजार मात्र) की धनराशि की उपयोग की अवधि दिनांक 31–3–2009 तक निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1- उक्त धनराशि रू. 31.42 लाख (रूपये इकत्तीस लाख बयालीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर संबंधित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

2- शासनादेश सं0–692/V-श0वि0–06–50(सा0)/06, दिनांक 25.3.2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यदि दिनांक 31–3–2009 तक विगत की अवशेष धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो समस्त अवशेष शासन को मय ब्याज के समर्पित किया जायेगा और इसके आगे इसकी उपयोग की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। उक्त धनराशि को बैंक में आहरण की तिथि तक के ब्याज की धनराशि को ट्रेजरी चालान के द्वारा राजकोष में जमा करके उसकी फोटो प्रति शासन को भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित्त अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

5- सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित्त मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31–3–2009 तक उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये और उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

7- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

8- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

9- मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनाक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए। उक्त योजनाओं का अनुरक्षण अपने संसाधनों से ही किया जायेगा, इसके लिए शासन के द्वारा कोई धनराशि अवमुक्त नही की जायेगी।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 960/XXVII(2)/2008, दिनांक- 10 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0-1586 (1)/IV-श0वि0-08,तद्दिनांक। 22/12/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।